रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220164
CG-DL-E-25062020-220164

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1821] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ़ 4, 1942
No. 1821] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASHADHA 4, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

सं. 15/2015–2020

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–20 का संशोधन–विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.44 में संशोधन।

का.आ. 2047(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

विदेश व्यापार नीति 2015–20 का मौजूदा पैरा 4.44

4.44 शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ तराशे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात

एक निर्यातक (जिसका गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रु. के निर्यात का वार्षिक टर्न ओवर हो) अथवा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत के प्राधिकृत कार्यालय/अभिकरण विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.74 में उल्लिखित किसी भी अभिकरण/प्रयोगशाला को तराशे हुए और पालिश किए गए हीरे (प्रत्येक 0.25 कैरेट अथवा अधिक) का निर्यात कर सकता है जिसमें निर्यात की तिथि से 3 मास की अवधि के अंदर शून्य शुल्क की पुनः आयात की सुविधा दी गई है। ऐसी शून्य शुल्क की पुनः आयात सुविधा राजस्व विभाग के केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

विदेश व्यापार नीति 2015–20 का संशोधित पैरा 4.44

4.44 शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ तराशे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात

एक निर्यातक (जिसका गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रु. के निर्यात का वार्षिक टर्न ओवर हो) अथवा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत के प्राधिकृत कार्यालय/अभिकरण विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.74 में उल्लिखित किसी भी अभिकरण/प्रयोगशाला को तराशे हुए और पालिश किए गए हीरे (प्रत्येक 0.25 कैरेट अथवा अधिक) का निर्यात कर सकता है जिसमें निर्यात की तिथि से 3 मास की अवधि के अंदर शून्य शुल्क की पुनः आयात की सुविधा दी गई है। ऐसी शून्य शुल्क की पुनः आयात सुविधा राजस्व विभाग के केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

तथापि, उन मामलों में जहां पुनः आयात की अवधि 1 फरवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के बीच समाप्त हो रही है, वहां पुनः आयात की अवधि स्वतः रुप से और 3 महीने के लिए बढ़ी हुई समझी जाएगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: उन मामलों के लिए जहां पुनः आयात की अवधि 1 फरवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के बीच समाप्त हो रही है, कोविड 19 के आलोक में शून्य शुल्क के साथ पुनः आयात सुविधा के लिए समय–सीमा को तीन महीने से बढ़ाकर छहः महीने करते हुए विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.44 को संशोधित किया गया है।

[फा. सं. 01/94/180/152/एएम20/पीसी–4]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2020

No. 15/2015-20

Subject: Amendments to Foreign Trade Policy 2015-2020-Amendment in Para 4.44 of the Foreign Trade Policy.

S.O. 2047(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in Foreign Trade Policy 2015-20.

Existing Para 4.44 of Foreign Trade Policy 2015-20

4.44 Export of Cut & Polished Diamonds with Re-import Facility at Zero Duty

An exporter (with annual export turnover of Rs 5 crores for each of the last three years) or the authorized offices/agencies in India of laboratories mentioned under paragraph 4.74 of Hand Book of Procedures may export cut & polished diamonds (each of 0.25 carat or above) to any of the agencies/laboratories mentioned under paragraph 4.74 of Handbook of Procedures with re-import facility at zero duty within **3 months from the date of export**. Such facility of re-import at zero duty will be subject to guidelines issued by Central Board of Customs & Excise, Department of Revenue.

Amended Para 4.44 of Foreign Trade Policy 2015-20

4.44 Export of Cut & Polished Diamonds with Re-import Facility at Zero Duty

An exporter (with annual export turnover of Rs 5 crores for each of the last three years) or the authorized offices/agencies in India of laboratories mentioned under paragraph 4.74 of Hand Book of Procedures may export cut & polished diamonds (each of 0.25 carat or above) to any of the agencies/laboratories

mentioned under paragraph 4.74 of Handbook of Procedures with re-import facility at zero duty within **3 months from the date of export**. Such facility of re-import at zero duty will be subject to guidelines issued by Central Board of Customs & Excise, Department of Revenue.

However, for cases where re-import period is expiring between Feb 1, 2020 to July 31, 2020, the period of re-import shall be considered automatically extended by 3 more months.

<u>**Effect of the Notification:**</u> Para 4.44, of FTP is amended enhancing the time limit for re-import facility with zero duty from three months to six months for cases where re-import period is expiring between Feb. 1, 2020 to July 31, 2020 in light of COVID19.

[F. No. 01/94/180/152/AM20/PC-4]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.25 20:04:12 +05'30'